न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 148/2014

सायलान :-	बनाम	गैरसायलान :-
1. सोहनलाल पुत्र जीताराम		1. अर्जन पुत्र गोकलराम
2. भाकरराम पुत्र जीताराम		2. तेजाराम पुत्र गोकलराम
3. धर्माराम पुत्र जीताराम		3. परमाराम पुत्र गोकलराम
4. शांति पत्नी जीताराम		जातियान–बावरी, निवासी–काणेचा
जातियान–बावरी, निवासी–काणेचा		तहसील–जैतारण, जिला–पाली
तहसील–जैतारण, जिला–पाली		

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी तारीख रजू:.13.08.2014

उपस्थितः– 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री कल्याण व्यास, अधिवक्ता, गै0सा0।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 01/07/2015

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा–काणेचा, पटवार हल्का–काणेचा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में सायलान एवं गैरसायलान की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 382 रकबा 12–05 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 384 रकबा 23–11 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 399 रकबा 13–00 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल किता–3 कुल रकबा 48–16 बीघा की सायलान एवं गैरसायलान की शामलाती खातेदारी कृषि भूमि आई हुई हैं। जिसमें सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि में सायलान एवं गैरसायलान रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हैं व काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। उक्त खसरान की भूमि में सायलान का 1/4 हिस्सा बनता हैं, जिस बाबत सायलान ने श्रीमान के न्यायालय में एक वाद–पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत किया हैं, जिसमें श्रीमान द्वारा स्थगन आदेश के पक्ष में व गैरसायलान के विरुद्ध इस आशय का जारी करते हुए यह आदेश दिया कि उक्त सम्पूर्ण खसरान नम्बरान की भूमि में गैरसायलान सायलान के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप, बाधा, अडचन, दखलदांजी नहीं करें, न ही मौके पर कोई हरे वृक्षों को, झाडियों, बबूल के पेडो को ही काटे एवं न ही मौके पर किसी प्रकार से कोई खुर्दबुर्द ही करें। ऐसा आदेश सायलान के पक्ष में जारी किया गया हैं। दिनांक 11/07/2014 को सायलान खेत बोने के लिए अपने हक हिस्से की व कब्जा काश्त की कृषि पर गए। तब सभी गैरसायलान एक राय होकर हाथों में लाठिया व लकडिया लेकर सायलान के हक हिस्से व कब्जा काश्त भूमि में अनाधिकृत रुप से प्रवेश होते हुए आए व सायलान को उक्त उनके हक हिस्से की भूमि को बोने में रोकटोक व बाधा पैदा कर हस्तक्षेप व दखलंदाजी करने लगे तथा गैरसायलान ने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सायलान के सम्पूर्ण खसरा नम्बरान में आई हक हिस्से की भूमि में खडे हरे वृक्षों को काट दिया व चोरी कर ट्रेक्टर में डालकर ले जाने लगे जिसका विरोध सायलान ने किया, तो मारमीट की एवं उनकों हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हुए तथा एलानिया कथन किया कि हम किसी भी न्यायालय के स्थगन को नहीं मानते है एवं न ही हम न्यायालय के आदेश की कोई पालना ही करेगें। इस प्रकार से गैरसायलान ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की हैं। गैरसायलान ने सायलान के पक्ष में न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर जैतारण का स्थगन आदेश होते हुए भी सायलान के हक हिस्से की भूमि मे जबरदस्ती अनाधिकृत रुप से प्रवेश कर बाधा व अडचन पैदा कर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की हैं एवं हरे वृक्षो को काटकर अपराधिक कृत्य किया हैं। जिसकें लिए अलग से सिविल कारावास की कार्यवाही करावें।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गय पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-काणेचा में पेश हुई। वकील गै0सा0 जबाब पेश करने का समय चाहते हैं। गै0सा0 को जबाब पेश करने का समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायलान के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20/01/2014 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के बावजूद भी गै0सा0 न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हैं। लिहाजा गै0सा0 को पाबन्द किया जाता हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व मौजा-काणेचा, पटवार हल्का-काणेचा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में सायलान एवं गैरसायलान की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 382 रकबा 12-05 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 384 रकबा 23-11 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 399 रकबा 13-00 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल किता-3 कुल रकबा 48-16 बीघा की भूमि में न्यायालय हाजा द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 20/01/2014 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-काणेचा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner